(2013) 6 एस.सी.आर. 127

रामप्रकाश अग्रवाल व अन्य

बनाम

गोपीकृष्ण (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधि) व अन्य

(सिविल अपील नं. 2013/2788)

11 अप्रैल, 2013

(डॉ. बी. एस. चैहान व फकीर मोहम्मद इब्राहिम कालीफुल्ला, जे.जे.)

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया- दो लोगों के संयुक्त स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण एक स्वामी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रतिकर को बढाने के लिए आवेदन- अन्य स्वामी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना रेफरेन्स न्यायालय द्वारा बढे हुए क्षतिपूर्ति का अनुदान- अन्य स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151- संधारणीयता अवधारित प्रक्रिया के पक्षकार नहीं होने वाले के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 संधारणीय नहीं यद्यपि इस प्रकार की राहत धारा 151 अंतर्गत अन्तर्निहित शक्ति के अंतर्गत दी जा सकती है यदि न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके आदेश प्राप्त किया गया हो लेकिन उक्त संधारणीय नहीं है

यदि धोखाधड़ी पक्षकार के साथ किया गया हो। इस प्रकार की परिस्थिति में पीडित पक्षकार पृथक वाद दायर करके अनुतोष मांग सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेफरेन्स न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार नहीं किया जा सकता था- यहां तक कि धारा 151 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के क्रियान्वयन के द्वारा भी क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार के साथ धोखाधड़ी की गई थी, ना कि न्यायालय के साथ- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894

धारा 151- न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति प्रकृति एवं क्षेत्र- चर्चा की गई।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- रेफरेन्स न्यायालय क्षेत्राधिकार- पीडित व्यक्ति अंतर्गत धारा 18 या 30 के अंतर्गत रेफरेन्स के लिए आवेदन कर सकता है परन्तु रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष स्वयं को बाद में पक्षकार के रूप में जुड़वाने के लिये या अंश विभाजन के लिये नही।

प्रतिपक्षी नंबर 1 एवं अपीलकर्ताओं के हितधारी पूर्वज अधिग्रहित भूमि के संयुक्त स्वामी थे। भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित की गई थी। प्रतिपक्षी नंबर 1 ने क्षतिपूर्ति राशि का संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावा किया। उस प्रकरण में अपीलकर्ताओं के हितधारी पूर्वज भी एक पक्षकार था और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक

उत्तराधिकारी को रेकॉर्ड पर लाया गया। उसी समय अपीलकर्ताओं द्वारा अपने आधे हिस्से के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि को बढाने के लिए अधिग्रहण

अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एक रेफरेन्स पेश किया। उस प्रकरण में प्रतिपक्षी नंबर 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया। न्यायाधिकरण ने अवधारित किया कि अपीलकर्ता बढी हुई राशि के साथ क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिपक्षी नंबर 1 ने उसके पश्चात् अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत एकपक्षीय अवार्ड को अपास्त करने हेतु पेश किया। न्यायाधिकरण ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रतिपक्षी नंबर 1 ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका पेश की जो कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। इस प्रकार प्रस्तुत अपील पेश हुई।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि प्रकरण का पक्षकार नहीं हो, पेश होने पर संधारणीय है और यदि ऐसा प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं है तो क्या ऐसा अनुतोष धारा 151 के अंतर्गत अन्तर्निहित शक्ति के द्वारा दिया जा सकता है और क्या सीपीसी के प्रावधान भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में लागू होती है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है जो प्रारंभ में प्रक्रिया का पक्षकार नहीं था। अपवादिक परिस्थितियों में न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं कर सकती। एकपक्षीय आदेश अन्तर्गत आदेश सीपीसी एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए- एक एकपक्षीय डिक्री जो कि पक्षकार के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर पारित की गई हो जिसमें तथ्य अंतवर्लित हो कि उसमें पक्षकार की कोई गलती नहीं थी, वह डिक्री इसके विरूद्ध दायर अपील में अपास्त की जा सकती है। ऐसा मामला जहांं प्रतिवादी की अनुपस्थिति न्यायालय की गलती के कारण रही है। धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र वहीं संधारणीय है जहांं एकपक्षीय आदेश न्यायालय से छल एवं दुर्राभसंधी के द्वारा प्राप्त किया गया हो। आदेश 9 के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले में न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर या तो मामले को पुनःस्थापित कर सकता है या एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर सकता है।

{पैरा 9 व 20(आई)(147-ए;140-सी-ई)

श्रीमती संतोष चोपड़ा बनाम तेजासिंह व अन्य ए आई आर 1977 डेल 110: श्रीमती सूरज कुमारी बनाम जिला न्यायाधीश मिर्जापुर व अन्य ए आई आर 1991, ।सस 75 का संदर्भ लिया गया।

2. धारा 151 सीपीसी जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकार देने वाला मूल प्रावधान नहीं है। यह मात्र प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो एक पक्षकार को लंबित मामले को न्याय और साम्य के साथ संचालित करने में सक्षम बनाता है। जिस न्यायालय के समक्ष मामला है वह पक्षकारों के मध्य न्याय कर सकता है। इसी प्रकार निस्तारित हो चुके मामले को अंतर्निहित शक्तियाँ पुनः खोलने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को उस सीमा तक विधानमंडल द्वारा निरसित माना जाना चाहिए। अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को निषेध करने वाला प्रावधान व्यक्त किया जाना आवश्यक नहीं है, यह उसमें अन्तवर्लित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो वाद का पक्षकार नहीं था उसके द्वारा डिक्री के निष्पादन को अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग द्वारा नहीं रोका जा सकता है। अंतर्निहित शक्तियों के तहत ऐसा व्यक्ति जो वाद का पक्षकार नहीं हो उसके आवेदन पर डिक्री के निष्पादन को नहीं रोका जा सकता है। इस तरह की शक्तियाँ निरपेक्ष रूप से न्याय की प्राप्ति के लिए एवं न्याय की विफलता से उभरने के लिए आवश्यक है। न्यायालय धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत न्याय करने के लिए कोई भी प्रक्रिया अपना सकता है जब तक कि अन्यथा प्रतिषेध न हो {पैरा 8}{139 बी डी}

3. सी.पी.सी. के किसी भी प्रावधान के द्वारा मुकदमों का समेकन अनुज्ञान नही किया गया है। जब तक कि इस सम्बन्ध में राज्य संशोधन नही किया गया हो। इस प्रकार यह धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत किया

जा सकता है, जहां पर तथ्य एवं विधि का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है एवं यह पक्षकारों का कुसंयोजन का मामला न हो। पेश किये गये दो या अधिक वादो का असंयोजन वादो की बहुलता पैदा करता है। जो समेकन चाहे गये 2 या अधिक वादो में सामान्य विवाधक पर विरोधाभाषी निर्णय होने की संभावना के लिए भी द्वारा खोल देता है। तब वादो का असंयोजन एक पक्षकार को पूर्वाग्रसित कर सकता है या न्यायालय की विफलता में परिणित हो सकता है। अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग उन वादो के रूप में किया जा सकता है, जहां सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान नही हो। उक्त शक्तियों का प्रयोग विधि के स्पष्टतः एवं विशेष रूप से दिये गये प्रावधानों के विपरीत और विरोध में या उनकी अवहेलना के लिए नही किया जा सकता है। (पैरा 8) (139-ई-एच)

बी.वी. पटनाकर व अन्य बनाम सी.जी. शास्त्री ए आई आर 196/एससी/272 1961 एससीआर 91 रामचन्द्र सिंह बनाम सावित्री देवी व अन्य एआईआर 2004 एससी 4096 जेट प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड बनाम मधुकर नोवलखा एआईआर 2006 एससी 1260:2006(2) एससीआर 761; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रंजन केमिकल लिमिटेड व अन्य (2007) 1 एससीसी 97: 2006(7) पूरक एससीआर 145; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम बाबूसिंह (2008) 2 एससीसी 85; दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री एआईआर 2009 एससी 285: 2008(13) एससीआर 1056: नाहर इंडस्ट्ी्रज एंटरप्राईजेज लिमिटेड बनाम एच.एस.बी.सी. वगैरा (2009) 8

एससीसी 646: 2009(12) एससीआर 54; राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता बनाम प्रकाशचंद्र मिश्रा और अन्य ए आई आर 2011 एससी 1137: 2011 (1) एससीआर 321- भरोसा किया।

4.1 जहां न्यायालय किसी प्रक्रिया को कुछ ऐसा करने के लिये अपनाता है, जिसका किया जाना कभी आशमित नही रहा हो तथा जहां न्याय की हत्या हो या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो, इस प्रकार किये गये अन्याय निवारण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। इस सिद्वान्त के साथ कि एक्टस क्यूरोनेमीनम ग्रेवाबिट न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति को पूर्वाग्रसित नही करेगा। {पैरा 9} {140-एफ-जी}

4.2 धारा 151 सीपीसी में दी गयी अन्तनिर्हित शक्तियों का प्रयोग सिर्फ वहीं किया जाना चाहिये, जहां सीपीसी के किसी अन्य प्रावधान में अनुतोष (निवारक) का उपलब्ध नही हो।

उस स्थिति में जहां किसी एक पक्षकार ने न्यायालय से छल करकें या जहां कोई आदेश न्यायालय ने गलती से पारित किया है, न्यायालय उस गलती को (सुधारने के लिए) या तो अपने आदेश को वापिस लेकर या अन्य कोंइे उपयुक्त आदेश पारित कर सुधारने में न्यायालय को उचित ठहराया जा सकता है। यद्यपि अन्तनिर्हित शक्तियों का प्रयोग अस्तित्वमान अन्य प्रावधानो के विरोध में नही किया जा सकता है एवं ऐसे मामले में जहां सीपीसी के अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत अन्य अनुतोष उपलब्ध

हो। इसके अलावा यदि किसी पक्षकार के साथ धोखा धड़ी की गई है तो उस मामलें में अन्तनिर्हित शक्तियों का प्रयोग नही किया जा सकता है (पैरा 13)(143-सी-ई)

(5) उस स्थिति में जहां न्यायालय से धोखा धड़ी करके आदेश प्राप्त किया गया हो, वहां न्यायालय के लिए हमेशा अनुमत है कि वह उक्त आदेश को पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पत्र वापिस ले ले और इस शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। परन्तु जहां धोखा धड़ी किसी पक्षकार से की गई हो तो वहा न्यायालय ऐसे तथ्यात्मक विवाधक की जांच नही कर सकता तथा ऐसी परिस्थिति में एक पक्षकार जो ऐसा निर्णय या आदेश प्राप्त करने का अधिकार रखता हो, ऐसा पक्षकार उस निर्णय या आदेश को पृथकतः वाद दायर करके अपास्त करवाने का अधिकार रखता है। (पैरा 20 (iii)और(iv)(147.सी डी)

(6) वर्तमान मामले में जहां घटना के बारे में प्रथम बार के न्यायालय में कार्यवाही संस्थित की गई थी, वहा प्रतिवादी उस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था। आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना पत्र जो वाद का पक्षकार न ही था, स्वीकार करने का अर्थ होगा मामले में एक पक्षकार को जोड़ना जो कि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में दिया हुआ है, या एक पक्षीय निर्णय या आदेश को किसी अन्य कारण से अमान्य व शून्य होने की घोषणा करवाने की मांग करना जो कि

ऐसे पक्षकार द्वारा स्वतंत्र रूप से मांगी जा सकती है। वर्तमान मामले में, जैसे कि धोखाधड़ी यदि ऐसा है जैसा कि आरोप लगाया गया है किसी पक्षकार के साथ की गई है न कि न्यायालय के साथ तब यह मामला ऐसा नही है जिसमें न्यायालय गलती को धारा 151 सीपीसी के प्रयोग से सुधार ले, यदि ऐसा किया गया था। (पैरा 16)(144-एफ-एच; 145-ए)

मे जॉर्ज बनाम विशेष तहसीलदार व अन्य (2010)13 एससीसी 98; 2010(7) एससीआर 204 पर भरोसा किया गया।

(7) ऐसा व्यक्ति जिसने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 या 30 के अन्तर्गत कभी रेफरेन्स करने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया वह सीधे ही रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष स्वयं को जोडे जाने की प्रार्थना नहीं कर सकता है। एक पीडित व्यक्ति पक्षकार के रूप में जोडे जाने हेतु या उसके अंश विभाजित करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 एवं 30 के अधीन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष पेश कर सकता है परन्तु सीधे ही रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकता है।

{पैरा 19 व 20 (अ)} {146.जी;147.ई}

अज्जम लिंगन्ना व अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आर डी ओ, निजामाबाद और अन्य (2002) 9 एस सी सी 426; प्रयाग उपनिवेश आवास एवं निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम इलाहाबाद विकास

प्राधिकरण एवं अन्य (2003) 5 एस सी सी 561: 2003 (3) एस सी आर 567; परमथ नाथ मलिक बहादुर बनाम राज्य सचिव एआईआर 1930 पी सी 64: मौहम्मद हसनुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर 1979 एस सी 404; 1979 (2) एस सी आर 265; कोथमासु कनकरथम्मा व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य ए आई आर 1965 एस सी 304; 1964 एस सी आर 294 पर भरोसा किया।

दुलहिम सुग्गा कुएर और अन्य बनाम देवरानी कुएर व अन्य ए आई आर 1952 पेट 72; सूरजदेव बनाम राजस्व परिषद् उ0 प्र0 इलाहाबाद और अन्य ए आई आर 1982 सभी 23; मनोहरलाल चोपड़ा बनाम बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल ए आई आर 1962 एस सी 527: 1962 पूरक एस सी आर 450: इंडियन बैंक बनाम मैसर्स सत्यम फाईबर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड. ए आई आर 1996 एस सी 2592: 1996 (4) पूरक एस सी आर 464; दादूदयाल महासभा बनाम सुखदेव आर्य व अन्य (1990) 1 एस सी सी 189; 1989 (2) पूरक एस सी आर 233; डॉ. जी. एच. ग्रान्ट बनाम बिहार राज्य ए आई आर 1966 एस सी 237; 1965 एस सी आर 576; श्यामली दास बनाम इला चैधरी व अन्य ए आई आर 2007 एस सी 215;

रामप्रकाश अग्रवाल बनाम गोपीकृष्ण (एल.आर.एस. के माध्यम से मृत्यु 133)

2006 (8) पूरक एस सी आर 310-संदर्भित

केस कानून संदर्भ:

ए आई आर 1977 डेल 110	भरोसा किया	पैरा 4
ए आई आर 1991 सभी 75	भरोसा किया	पैरा 5
ए आई आर 1952 पैट 72	भेजा गया	पैरा 6
ए आई आर 1982 सभी 23	भेजा गया	पैरा 7
1961 एस सी आर 591	भरोसा किया	पैरा 8
2004 एस सी 4096	भरोसा किया	पैरा 8
2006 (2) एस सी आर 761	भरोसा किया	पैरा 8
2006 (7) पूरक एससीआर 145	भरोसा किया	पैरा 8
(2008) 2 एस सी सी 85	भरोसा किया	पैरा 8
2008 (13) एससीआर 1056	भरोसा किया	पैरा 8
2009 (12) एससीआर 54	भरोसा किया	पैरा 8
2011 (1) एससीआर 321	भरोसा किया	पैरा 8
1962 पूरक एस सी आर 450	भेजा गया	पैरा 10
1996 (4) पूरक एससीआर 464	भेजा गया	पैरा 11
1989 (2) एससीआर 233	भेजा गया	पैरा 12

2010 (7) एससीआर 204	भरोसा किया	पैरा 17
1965 एससीआर 576	भेजा गया	पैरा 17
2006 (8) पूरक एससीआर 310	भेजा गया	पैरा 18
(2002) 9 एससीसी 426	भरोसा किया	पैरा 19
2003 (3) एससीआर 567	भरोसा किया	पैरा 19
एआईआर 1930 पीसी 64	भरोसा किया	पैरा 19
1979 (2) एससीआर 265	भरोसा किया	पैरा 19
1964 एस सी आर 294	भरोसा किया	पैरा 19

सिविल अपील क्षेत्राधिकारिताः सिविल अपील सं॰ 2798/2013

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ द्वारा 2002 (एम.एस.) की रिट याचिका संख्या 764 लखनऊ के दिनांक 20.10.2011 के निर्णय व आदेश से।

साथ में

सी.ए. 2013 का 2799

प्रदीप कांत, राकेश द्विवेदी, दीपक गोयल, विपिन कुमार, ई.सी. अग्रवाला, दिव्यांशु सहाय, राधिका गौतम, ताराचंद शर्मा, नीलम शर्मा, रूपेश कुमार, अरविंद कुमार, लक्ष्मी अरविंद, पूनम प्रसाद, प्रदीप कुमार माथुर, टी. अनामिका उपस्थित पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

डॉ. बी.एस. चैहान, जे.

1॰ ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के दिनांक 20.10.2011 के {रिट याचिका संख्या 2002 की 764 में दिये गये} आक्षेपित निर्णय व आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय में विचारण न्यायालय के उस आदेश को जिसके द्वारा विविध मामला नंबर 1999 का 66 में दिये गये निर्णय व आदेश दिनांकित 22.05.2000 को अपास्त करने हेतु पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे यहां इसके बाद 'सीपीसी' से संबोधित किया जायेगा), जिसको खारिज कर दिया गया था, को अपास्त कर दिया था के विरूद्ध पेश की गई है।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य व परिस्थितियाँं इस प्रकार हैं-

A. दुकान नंबर 53/11 (पुराना नंबर) अपने नये नंबर के अनुरूप जैसा कि 53/8 न्यायागंज, कानपुर नगर के स्वामित्व के संबंध में विवाद से संबंधित है।

हरदयाल की (प्रथम) पुत्री जानकी वीवि का विवाह दीनानाथ के पुत्र दुर्गाप्रसाद के साथ हुआ था। राधेश्याम दुर्गाप्रसाद का दत्तक पुत्र था जिसके पुत्र श्यामसुन्दर के साथ जानकी वीवि (द्वितीय) का विवाह हुआ था।

श्यामसुन्दर की मृत्यु सन् 1914 में हो गयी। इस प्रकार राधेश्याम ने मौखिक वसीयत द्वारा जानकी विवी (द्वितीय) के पक्ष में सम्पत्ति में जीवन काल तक हित प्रदान किया तथा आगे यह भी उपबन्धित किया गया कि उसे हरदयाल के पौत्र मोहनलाल की सहमति से सिर्फ एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार होगा। मोहनलाल के परपौत्र ने स्वयं को जानकी बिवी (द्वितीय) के द्वारा मोहनलाल की सहमति से गोद लिये जाने का दावा किया और इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड दस्तावेज भी तैयार किया गया।

B. गोपीकृष्ण ने श्रीमती जानकी बीवि (द्वितीय) के विरूद्ध मोहलाल गंज, लखनउ के सिविल जज के न्यायालय में 1956 के 45 नम्बर का घोषणा का अनुतोष चाहते हुए नियमित दावा यह कहते हुए पेश किया कि श्रीमती जानकी बीवि परिशिष्ट श्।श् में वर्णित सम्पत्तियों की मात्र अपने जीवनकाल तक ही हितधारी थी तथा आगे वह ग्राम नवाई पर्ज, जालोटार, अजगेएन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति या पुनर्वास अनुतोष बंधपत्र प्राप्त करने की हकदार नहीं है। उसने यह सब उसके दत्तक पुत्र होने का दावा करते हुए कहा।

C. जानकी बीबी (द्वितीय) ने दावे का विरोध उस गोद का इन्कार करते हुए किया यद्यपि दावा विस्तृत निर्णय दिनांकित 23.04.1958 द्वारा डिक्री यह अभिनिर्धारित करते हुए हुआ कि वास्तव में जानकी वीवि

राधेश्याम की सम्पत्ति में जीवन हितधारी थी, वह भी यहां प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी थी।

D. वह सम्पत्ति जिसका नम्बर 264/1-53 जिसकी माप 17 बीघा 2 बिस्वा, 2 बिसवान्सी एवं 19 काचवान्सी जो कि ग्राम सुप्पा राव, परगना तहसील जिला लखनउ का आधे हिस्से का स्वामी राधेश्याम था। उपरोक्त वाद की सम्पत्ति जिसे सरकार ने उत्तरप्रदेश आवास एवं विकास परिषद (जिसे इसके पश्चात् परिषद कहा जायेगा) के द्वारा तालकटोरा रोड स्कीम लखनउ के विकास के लिए अन्तर्गत धारा 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम 1894' कहा जायेगा) दिनांक 20.10.1962 को अधिग्रहित कर लिया। कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद दिनांक 30.12.1971 को उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया।

E. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम 1959 के अन्तर्गत स्थापित गोपीकृष्ण नगर महापालिका ट्रिब्यूनल के समक्ष अधिनियम 1894 की धारा 18/30 के अन्तर्गत यू.पी. राज्य द्वारा अधिग्रहित सम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति का दावा करने इस आधार पर कि वह ऐसा करने के लिए दिनांक 23.04.1958 के निर्णय एवं डिक्री से हकदार है। उक्त मामले में श्रीमती जानकी बीबी (द्वितीय) एक पक्षकार थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् जानकी

बीबी की वसीयत के अनुसार उनके वारिस माधुरी सरन एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को रेकॉर्ड पर लाया गया था।

F. उसी समय माधुरी सरन वर्तमान अपीलार्थीयों की पूर्ववर्ती हितबद्ध ने एक रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 18 अधिनियम 1894 उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के क्षतिपूर्ति के आधे हिस्से के लिए पेश किया जो विविध मामले संख्या 1999 का 66 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहते हुए माधुरी सरन की मृत्यु हो गई और उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया। गोपीकृष्ण प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार के रूप में नहीं जोडॉ गया। ट्रिब्यूनल ने विस्तृत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22.05.2000 के द्वारा अभिनिर्धारित किया कि विरोधी पक्षकार क्षतिपूर्ति (उपरोक्त सम्पत्ति के लिए जिसमें बढा हुआ भी शामिल है) प्राप्त करने के हकदार थे। उपरोक्त संदर्भ अवार्ड के अनुसरण में अपीलकर्ताओं ने बढी हुई क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। जब प्रतिपक्षी संख्या 1 को दिनांक 22.05.2000 के आदेश के बारे में पता चला तो उसने दिनांक 22.05.2000 को दिये गये अवार्ड को अपास्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत पेश किया। ट्रिब्यूनल ने विस्तृत आदेश दिनांकित 20.02.2002 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 उसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जा सकता है जो कि परित किये गये आदेश

की कार्यवाहियों में पक्षकार रहा हो। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र वाद से अजनबी व्यक्ति द्वारा चलने योग्य नहीं था।

G. प्रतिपक्षी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की जो कि न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत जब प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था तो धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके आक्षेपित अवार्ड भी अपास्त किया जाना चाहिये था जैसा कि ऐसा किया जाना पक्षकारों के बीच मर्मभूत न्याय किये जाने हेतु आवश्यक था।

3. हमने अपीलार्थियों की तरफ से उपस्थित श्री एस नाफाडे एवं श्री प्रदीप कान्त तथा प्रतिपक्षियों की तरफ से उपस्थित श्री राकेश द्विवेदी को सुना, विवाद्यकों के संबंध में विशेषतः उस सीमा तक कि इन कार्यवाहियों में सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं और आगे यह भी कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कभी भी कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं रहा के द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य है, अन्तिमतः उस स्थिति में जबकि ऐसा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, क्या ऐसा अनुतोष धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग करके पारित किया जा सकता है।

4. श्रीमती संतोष चोपड़ा बनाम तेजासिंह व अन्य ए आई आर 1977 दिल्ली 110 में देहली उच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक पर कि क्या वाद के अपक्षकार या वाद से अजनबी पक्षकार का कोई सुनवाई अधिकार आदेश 9

नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री जिससे वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, को अपास्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए है। उस मामले में किराया नियन्त्रक ने अभिनिर्धारित किया था कि यह प्रत्यक्ष मकान मालिक को दिये जाने वाले अनुतोष पर प्रतिषेध लगाना प्रत्यक्ष रूप से अन्याय होगा, जैसा कि अपीलार्थी पूर्व मकान मालिक के अधिकारों का समनुदेशक था इसलिए वह इस प्रकार की डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता था। दिल्ली उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदेश 9 नियम 13 के वैधानिक प्रावधान अपने आप में कार्यवाही के प्रतिवादी के संबंध में है, जो अकेला आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो वाद में हितबद्ध होने के बावजूद भी वाद का पक्षकार नहीं है तो इस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। वास्तव में उनका आदेश को अपास्त करवाने का कोई सुनवाई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का आदेश यहां तक कि धारा 151 सीपीसी में भी पारित नहीं किया जा करता था। इस प्रकार यहध्यान में रखते हुए किराया नियन्त्रक द्वारा पारित आदेश को उलट दिया गया।

5. श्रीमती सूरज कुमारी बनाम जिला जज मिर्जापुर व अन्य AIR 1991 All 75 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इसके समान ही विवाद्यक था तब न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया कि एक अजनबी की पहल पर आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के

अंतर्गत पेश प्रार्थना पत्र से एक डिक्री को पुनः खोला जाये और यहां तक कि चाहे ऐसी डिक्री समझौते से या न्यायालय से धोखाधडी करके ऐसे अजनबी से पक्षपात कर ही क्यूं न प्राप्त की गई हो।

6. यद्यपि दुल्हिम सुगा कुएर व अन्य बनाम देओरानी कुएर व अन्य, ए आई आर 1952 पर 72 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 146 सीपीसी के प्रावधान का मामला आया जिसमें डिक्री अवार्ड कर दिये जाने के पश्चात् शीर्षक में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना की गई थी तब अभिनिर्धारित किया गया कि सही परीक्षण यह है कि क्या आदेश से या प्रश्नगत डिक्री से अन्तरिती प्रभावित होता है क्या। जहां एक पक्षीय डिक्री के पश्चात् अंतरण किया गया है, अंतरिती निश्चित ही एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का इच्छुक होगा।

7. सूरजदेव बनाम राजस्व बोर्ड यू.पी. इलाहाबाद व अन्य ए आई आर 1982 इला. 23 में इलाहाबाद के समक्ष विवाद आया जिसमें वाद से गैर पक्षकार ने आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए पेश किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> ‘‘प्रार्थी (याचिकाकर्ता) विरोधी पक्षकार के पक्ष में पारित की गई डिक्री में बेहद इच्छुक था जिसे वह खारिज करवाना चाहता है। यदि डिक्री विरोधी पक्षकारों के पक्ष में जैसी की जैसी बनी रहती है तो याचिकाकर्ता के खेतों में विवादग्रस्त

भूमि से सिंचाई का अधिकार अत्यन्तरूप से प्रभावित होंगे। ऐसी परिस्थिति में यद्यपि याचिकाकर्ता विरोधी पक्षकारों के पक्ष में जारी की गई एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करवाने के लिए उसे सुने जाने का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता है, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय विधि के प्रावधानों के विपरीत जारी की गई एकपक्षीय डिक्री जो कि वाद के वादी एवं प्रतिवादियों ने दुरभिसंधि एवं धोखाधडी के परिणामस्वरूप प्राप्त की थी जिन डिक्रियों में विरोधी पक्षकारों का विवादित सम्पत्ति में सीरदार होने के दावे को मान्यता दी जा रही थी, पारित की गई।''

{जोर दिया गया}

8. धारा 151 सीपीसी कोई मूलभूत प्रावधान नहीं है जो किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती हो। यह एकमात्र प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो किसी पक्षकार को लंबित वाद को न्याय और साम्या के सहित संचालित करने में सक्षम करता है। न्यायालय इसके समक्ष पक्षकारों के मध्य न्याय कर सकता है। इसी प्रकार अन्तर्निहित शक्तियों के निस्तारित किये जा चुके मामलों को पुनः नहीं खोल सकता है। इस सीमा तक न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों को विधानमण्डल द्वारा

निरस्त कर दी गई समझी जानी चाहिए। अन्तर्निहित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पृथक प्रावधान व्यक्त होना जरूरी नहीं है, यहां तक कि यह गर्मित हो सकता है। अन्तर्निहित शक्ति किसी डिक्री के निष्पादन को ऐसे व्यक्ति की पहल पर नहीं रोक सकती जो कि वाद का पक्षकार नहीं था। यह शक्ति सिर्फ न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा न्याय की विफलता से बाहर निकलने के लिए ही पूरी तरह से आवश्यक है। न्यायालय धारा 151 सीपीसी के तहत कोई भी प्रक्रिया अपना सकता है जब तक कि वह व्यक्तरूप से प्रतिषेधित न हो।

वादों का समेकन संहिता के किसी भी प्रावधान में नहीं दिया गया है, जब तक कि राज्यों का इस संबंध में संशोधन न हो। तब यह धारा 151 सीपीसी की शक्तियों के प्रयोग से किया जा सकता है जहां तथ्य व विधि के सामान्य प्रश्न पैदा होते हो, तथा पक्षकारों का कुसंयोजन भी नहीं होना चाहिये। दायर किये गये दो या अधिक वादों का असंयोजन वादों की बहुलता पैदा करने वाला होगा जो कि समान विवाद्यक पर विरोधाभासी निर्णय के लिए द्वार खोलेगा जो कि दो या अधिक वाद जिनको समेकित करना चाहा गया है, में सामान्य हो सकते हैं। असंयोजन इस प्रकार किसी पक्षकार को पूर्वाग्रहित कर सकता है या न्याय की विफलता में परिणित हो सकता है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्याय के दायित्व के कारण के रूप में उन मामलों में जहांं सीपीसी में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं हो, किया जा सकता है। उक्त शक्तियों का प्रयोग विधि के अभिव्यक्त तथा

विशिष्टतः प्रावधानों के विरूद्ध या उनके विरोधाभास में या उनकी अवहेलना करके नहीं किया जा सकता है। {देखें बी.वी. पाटनकर व अन्य बनाम सी.जी. शास्त्री एआईआर 1961 एससी 272; रामचंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी व अन्य एआईआर 2004 एससी 4096; जेट प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड बनाम मधुकर नवलखा एआईआर 2006 एससी 1260; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रंजन केमिकल लिमिटेड व अन्य, (2007) 1 एससीसी 97; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम बाबूसिंह (2008) 2 एससीसी 85; दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री, एआईआर 2009 एससी 285; नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राईजेज लिमिटेड बनाम एचएसबीसी आदि, (2009) 8 एससीसी 646; और राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम प्रकाशचंद्र मिश्रा व अन्य, एआईआर 2011 एससी 1137}

9. आपवादिक परिस्थितियों में न्यायालय इसकी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है सिवाय आदेश 9 सीपीसी के तहत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के।

एकपक्षीय डिक्री जो कि एक पक्षकार के (काउन्सेल) अधिवक्ता की अनुपसंजाति के कारण पारित की गई है। इस तथ्य पर कि इसमें पक्षकार की कोई गलती नहीं थी, को इसके विरूद्ध की गई अपील में अपास्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में जहां प्रतिवादी की अनुपस्थिति न्यायालय की गलती के कारण रही हो। धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत

प्रार्थना पत्र चलने योग्य है, ऐसी परिस्थिति में जहां एकपक्षीय आदेश न्यायालय से धोखाधडी करके या दुरभिसंधी करके प्राप्त किया गया हो। आदेश 9 के प्रावधान लागू नहीं होगे और ऐसे मामले में या तो न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से मामले को पुर्नस्थापित कर सकता है या एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर सकता है।

ऐसा मामला भी हो सकता है जहां दावा वादी की उपसंजाति में चूक के कारण खारिज का। ऐसे वादी की उपसंजाति में चूक के कारण वाद खारिज का आदेश हो सकता है जिसकी वास्तव में उस समय जबकि ऐसा आदेश पारित किया गया था मृत्यु हो चुकी हो। इस प्रकार जहां न्यायालय कुछ ऐसा करने के लिए किसी प्रक्रिया को लागू करती है जिसे करना कभी भी आशयित नहीं था तथा जिससे न्याय की हत्या या न्यायालय का दुरूपयोग हो तो जो अन्याय हुआ है 'actus curia neminem gravabit' अर्थात न्यायालय का कार्य किसी भी व्यक्ति को पूर्वाग्रसित नहीं करता, के सिद्धांत के आधार पर सुधारा जाना चाहिये।

10. मनोहरलाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, एआईआर 1962, सुप्रीम कोर्ट 527 में इस न्यायालय ने विवाद्यक को परीक्षण इस सम्बन्ध में कि क्या न्यायालय धारा 151 सीपीसी के तहत अंतरिम अनुतोष प्रदान कर सकता है जहां वही अनुतोष आदेश 39 नियम

1 व 2 सीपीसी के तहत नहीं कर सकता हो, तब अभिनिर्धारित किया गया कि-

> ‘‘इस बात पर उच्च न्यायालयों के (मतों) विचारों में भिन्नता है। एक मत यह है कि न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं कर सकता जब तक कि परिस्थितियाँ संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत नहीं आती हो.....अन्यमत है कि न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा उन परिस्थितियों में जारी कर सकता है जो संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत नहीं आती यदि न्यायालय के विचार में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है.....हमारा विचार है कि पश्चात्वर्ती मत सही है तथा यह कि न्यायालय के पास उन परिस्थितियों में सीपीसी के आदेश 39 के प्रावधानों में नहीं आती हो, में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है। धारा 94 में ऐसा उपबंधन नहीं है जो संहिता के आदेश 39 एवं संहिता में बनाये गये किसी अन्य नियम के अंतर्गत नहीं आने वाली परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निषेध करती हो। यह सुस्थापित विधि है कि संहिता के प्रावधान सम्पूर्ण नही है, क्योकिं विधानमण्डल उन सभी संभावित परिस्थितियाँ जो भविष्य में किसी मुकदमेबाजी में

उत्पन्न हो सकती है, और उनके परिणामस्वरूप प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करने में असमर्थ है। अभिव्यक्ति' यदि यह इस प्रकार अभिवर्णित है' केवल वह यह है जब नियम उन परिस्थितियों को अभिनिर्धारित करता है जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। सामान्यतः न्यायालय को न्याय के हित में आवश्यक आदेश देने के लिए अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग नही करना चाहिये, बल्कि यह देखना चाहिये कि क्या मामले की परिस्थितियाँ इसे उपबन्धित नियम के अन्तर्गत लाती है या नही। यदि धारा 94 के प्रावधान संहिता में नही होते तो न्यायालय अभी भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता था, परन्तु वह ऐसा अपनी अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ही कर सकता था। किसी भी पक्षकार को अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार का अधिकार नही है, जब तक कि न्याय करने के लिये वह पूर्ण रूप से आवश्यक न हो। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति के प्रयोग की घटना में संहिता की धारा 94 प्रभाव डॉलती है ना कि न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग करने के अधिकार को छिनने में।''

(महत्व दिया गया)

11. इंडियन बैंक बनाम मैसर्स सत्यम फाईबर्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड ए आई आर 1996 एस सी 2592 में इस न्यायालय के एक समान मामले में निपटारा किया और पाया कि धोखाधड़ी न केवल अदालत की कार्यवाही की गंभीरता, नियमितता और व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि यह अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग भी है। कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में न्यायपालिका के पास भी अन्तर्निहित शक्तियाँ है। विशेष रूप से सीपीसी की धारा 151 के अन्तर्गत अपने निर्णय या आदेश को वापिस ले सकता है। यदि यह न्यायालय से धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है। किसी पक्षकार के साथ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमें या कार्यवाही में न्यायालय प्रभावित पक्ष को धोखाधड़ी से प्राप्त डिक्री को रद्द करने हेतु अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश दे सकती है।

12. इस प्रकार दादूदयाल महासभा बनाम सुखदेव आर्य एवं अन्य (1990) 1 सी 189ए में इस न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की कि क्या विचारण न्यायालय के पास इसकी अन्तर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत किसी वाद को वापिस लेने के आदेश को रद्द करने का क्षेत्राधिकार है क्या यदि अन्ततः यह संतुष्टि हो जाती है कि वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा वापिस ले लिया गया, जो कि उसे वापिस लेने का अधिकार नही रखता था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सुस्थापित स्थिति है न्यायालय के पास इसकी

अपनी कार्यवाहियों को सही करने की अन्तर्निहित शक्ति है जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि वह आदेश पारित करते समय कार्यवाही पक्षकारों मे से एक ने न्यायालय को गुमराह किया था। निम्नानुसार अवलोकन करते हुए यधपि न्यायालय ने इंगित किया कि उन मामलो में अन्तर है जहां धोखाधड़ी का अभ्यास न्यायालय के साथ किया गया है और जहां धोखाधड़ी का अभ्यास पक्षकार के साथ किया है।

> ‘‘यदि एक पक्षकार न्यायालय के समक्ष डिक्री को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश करता है कि उसने सहमति नही दी थी तो न्यायालय का यह कर्तव्य एवं शक्ति है कि वह मामले की जांच करे और यदि वह संतुष्ट हो जाये कि सहमति की कमी थी तथा न्यायालय को उक्त डिक्री पारित करने हेतु धोखापूर्वक प्रेरित किया गया था कि उस पक्षकार ने वास्तव में सहमति दी थी। यधपि पक्षकार डिक्री को चुनौती देते हुए मामला यह है कि हांलाकि मामले में पेश किये गये समझौते के प्रार्थना पत्र का वह पक्षकार था लेकिन उसकी सहमति धोखे से प्राप्त की गई थी तो न्यायालय मामले की जांच नही कर सकता तथा पक्षकार के पास अन्तर्निहित शक्ति के प्रयोग में एक माह अनुतोष पृथक वाद संस्थित करना है।’’

(महत्व दिया गया)

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुएे इस मुद्दे पर विधि को इस सीमा तक धारा 151 सीपीसी में दिये अन्तवंचित अन्तर्निहित शक्ति की सीमा तक निश्चित एवं स्पष्ट किया कि धारा 151 सीपीसी में अन्तवस्थित अन्तनिर्हित शक्ति का प्रयोग सिर्फ वहां किया जा सकता है, जहां किसी प्रकार का अनुतोष सीपीसी में अन्य किसी प्रावधान में नही दिया गया है। उस स्थिति में जहां एक पक्षकार ने डिक्री या आदेश न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके या जहां एक आदेश न्यायालय की गलती से पारित किया गया है तो न्यायालय उस गलती को सुधारने में या तो अपने आदेश को वपिस लेकर या अन्य कोई उचित आदेश पारित करके हो सकता है। यधपि अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग किसी अन्य मौजूदा प्रावधान के विरोध में और ऐसे मामले में जहां सीपीसी के अन्य प्रावधान में अनुतोष दिया गया हो, नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी स्थिति जहां धोखाधड़ी किसी पक्षकार के साथ की गई हो तो ऐसा मामला भी वह है जिसमें अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग नही किया जा सकता है।

14. जैसा है वैसा ही ट्रिब्यूनल ने अपीलार्थियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये पेश किया गया। मामला दिनांक 22.05.2000 को निर्णित किया तथा प्रतिपक्षियों द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को विस्तृत आदेश दिनांकित 20.02.2002 के द्वारा खारिज कर दिया था।

प्रतिपक्षियो ने दिनांक 20.02.2002 के आदेश को उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 2002 की 764 पेश करते हुए चुनौती दी तथा वह चूक (डिफ़ाल्ट) में खारिज कर दी गई। उक्त याचिका को पुनः दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई और विस्तृत आदेश दिनांक 12.12.2005 के द्वारा निस्तारण किया गया। जिसके द्वारा रिट याचिका को अपील के वैकल्पिक अनुतोष को ध्यान में रखते हुए खारिज किया गया। उक्त आदेश जो कि उक्त तथ्य के मध्यनजर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया था। वह धारा 381 उत्तरप्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य था। प्रतिपक्षियो ने उक्त आदेश को वापिस लिये जाने हेतु अपील की। न्यायालय ने अपील पर गुणदोष के आधार पर सुनवाई की। यधपि वापिस लेने का उक्त प्रार्थना पत्र विस्तृत आदेश दिनांकित 12.01.2009 के द्वारा चूक में खारिज किया गया। तब आदेश वापिस लेने के लिये द्वितीय प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वह भी विस्तृत आदेश दिनांकित 15.03.2010 के द्वारा चूक में खारिज किया गया। अन्ततः तीसरा प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जो आक्षेपित आदेश के द्वारा स्वीकार किया गया।

15. वास्तव में अपना अन्तिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय का समाधान किया गया था कि अपीलकर्ताओ ने ट्रिब्यूनल के समक्ष इस तथ्य का खुलासा नही करके अदालत के साथ धोखाधड़ी की है कि पूर्व स्तर पर मामला निस्तारित किया जा चुका था। जो कि प्रतिपक्षियो

के अधिकार तथा उसमें वर्णित अन्य सम्पतियों के संबध में प्रतिपक्षियो के विरूद्व कुछ टिप्पणियां की तथा मामला अन्ततः इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 1990 के 3871 के रूप में आया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किया-

> ''सम्पूर्ण मामले पर विचार करते हुए हमारा मत है कि विशेष अनुमति याचिका खारिज किये जाने योग्य है। हालांकि आक्षेपित फैसले मे की गई कुछ टिप्पणियों के संबध में कुछ गलत आशंकाएं हो सकती है। जैसा कि पक्षकारो के मध्य विवादो को अंतिम रूप से निर्णित किया गया था। इसलिये हम यह स्पष्ट करते है कि उक्त टिप्पणियों को विवाद के बिन्दुओ में अंतिम से निर्णित नही माना जायेगा। तद्नुसार अपील का निपटारा किया गया।''

16. वर्तमान मामले में हमें ध्यान में रखना होगा कि जहां तक प्रथम बार के न्यायालय का संबध है, कार्यवाहियो का निष्कर्ष निकाला जा चुका था तथा प्रतिपक्षी उक्त न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था। मामले के पक्षकारो के अलावा किसी के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार करना मामले में एक पक्षकार को जोड़ने के समान होगा, जो कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत दिया गया है या एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करना,

जो कि इस बात की घोषणा की मांग करना है कि किसी भी कारण से उक्त डिक्री शून्य व अमान्य है, जिसे उस पक्षकार द्वारा पृथक स्वतंत्र वाद द्वारा उस पक्षकार द्वारा मांगा जा सकता है। प्रस्तुत मामले में धोखाधड़ी यदि कोई हो जैसा कि आरोप लगाया गया है, किसी पक्षकार से की गई है ना कि न्यायालय से तो उक्त मामला ऐसा नही है। जहां न्यायालय यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारने के लिए धारा 151 सीपीसी का सहारा ले।

17. मामला मूलतः अधिग्रहित भूमि के बदले प्राप्त मुआवजे की राशि के बंटवारे से संबधित है। मे. जॉर्ज बनाम विशेष तहसीलदार व अन्य, (2010) 13 एस सी सी 98, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम 1894 की धारा 9 का नापेटिस आज्ञापक नही है तथा यह किसी भी तहर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओ को दूषित नही करता है। इस कारण से इच्छुक व्यक्ति के अभिगृहित की गई भूमि के लिये मुआवजे का दावा कर सकता है। इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति ने मुआवजें की राशि प्राप्त कर ली है। ''इच्छुक व्यक्ति'' जो कि व्यथित है, तो उसे अधिनियम, 1894 के प्रावधान के तहत कार्यवाहीका सहारा लेने का अधिकार है या वह उसके हिस्से की वसूली के लिये मुकदमा दायर कर सकता है। उक्त मामले का निर्णय करते समय इस न्यायालय के अनेक निर्णयो पर आधारित किया गया है जिनमें डॉ. जी. एच. बनाम बिहार राज्य ए आई आर 1966 एस सी 237.

18. उक्त मामले की जांच दूसरे नजरिये से की जाने की आवश्यकता है। निसंदेह उतरदाताओ ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष ना तो अधिनियम 1894 की धारा 18 और ना ही धारा 30 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश नही किया था। रेफरेन्स कोर्ट के क्षेत्राधिकार को इच्छुक व्यक्तियो के सम्बन्ध में इस न्यायालय ने श्यामली दास बनाम इला चैधरी व अन्य ए आई आर 2007 एस सी 215 में अभिनिर्धारित करते हुए समझाया गया है कि रेफरेन्स न्यायालय को उसके हित की सीमा तक इस प्रकृति के तथा अन्य प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया -

> ''अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। यह सिर्फ उन्ही के लिये जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है। अनुतोष प्रदान नही करता बल्कि उनके लिये भी है जो की गई राशि या उसके किसी बंटवारे का दावा करते है। एक भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार रेफरेन्स के आदेश से प्राप्त करता है। यह उससे बाध्य है कि उसका क्षेत्राधिकार मुआवजे की पर्याप्तता या अन्यथा राशि उसका क्षेत्राधिकार कलेक्टर द्वारा तैयार किये गये अवार्ड की पर्याप्तता तथा अन्यथा भुगतान की गयी मुआवजे की राशि को निश्चित करना है।''

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित हुआ कि उसके हित की सीमा तक या इसी प्रकृति के अन्य प्रार्थना पत्र को सुनना उसके अधिकार क्षेत्र में नही है। अपीलकर्ताओ द्वारा याचिकाओ में कहा गया कि सम्पत्ति के स्वामित्व का विवाद भी रेफरेन्स न्यायालय को निर्णित करने के लिये निर्देशित किया जावे, जबकि अपीलार्थी अवार्ड में हितबद्ध व्यक्ति नहीं था, को इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन करते हुए कि रेफरेन्स न्यायालय को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, खारिज कर दिया था।

19. अज्जम लिंगन्ना एवं अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आरडीओ, निजामाबाद व अन्य (2002) 9 एस सी सी 426 में इस न्यायालय ने इस आशय की टिप्पणियां इस प्रभाव तक की कि पक्षकारों के लिए रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष सीधे ही आवेदन करने और धारा 18 के तहत मुआवजा बढाने की मांग करना खुला हुआ नहीं है।

प्रयाग उपनिवेश आवास एवं निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य (2003) 5 एस सी सी 561 में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया थाः-

> ‘‘यह अच्छी तरह से स्थापित कि संदर्भ न्यायालय को क्षेत्राधिकार तभी मिलता है जब मामला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 या धारा 30 के

अंतर्गत उसके पास भेजा जाता है और यदि सिविल न्यायालय को केवल उसे निर्दिष्ट की गई आपत्तियों को निर्णीत करने का अधिकार है। रेफरेन्स (संदर्भ) न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ा नहीं सकता और जो मामले उसे निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं उनको निर्णित नहीं कर सकता।''

उक्त मामले का निर्णय करते समय न्यायालय ने परमथ नाथ मलिक बहादुर बनाम एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ए आई आर 1930 पी सी 64; तथा मोहम्मद हसनुद्दीन बनाम महाराष्ट् राज्य ए आई आर 1979 एस सी 404 में दिये गये निर्णयों पर विश्वास किया।

{यह भी देखें: कोथमासु कनकरथम्मा व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य और अन्य ए आई आर 1965 एस सी 304}

उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि जिस व्यक्ति ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष रेफरेन्स के लिए अधिनियम 1894 की धारा 18 या धारा 30 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है वह सीधे ही स्वयं को जोडकर रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बना सकता है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इसमें अन्तवर्लित कानूनी विवाद्यक को निम्नानुसार संक्षिप्त किया जा सकता हैः-

(i) आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है जो कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं था।

(ii) धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए किया जा सकता है जिसके लिए सी पी सी के तहत कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है।

(iii) उस परिस्थिति में जहां कोई आदेश न्यायालय से धोखाधडी करके प्राप्त कर लिया गया है तो पीडित व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश को वापस लेने का अधिकार हमेशा न्यायालय के पास है और ऐसी शक्ति का प्रयोग अपील न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।

(iv) जहां पर धोखाधडी किसी पक्षकार के साथ की गई है वहां न्यायालय इस प्रकार के तथ्यात्मक विवाद की जांच नहीं कर सकता तथा ऐसे स्थिति में वह पक्षकार को स्वतंत्र मुकदमा दायर करके उस निर्णय या आदेश को अपास्त करवाने का अधिकार है।

(v) व्यथित व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 या 30 के अंतर्गत रेफरेन्स के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकता है लेकिन रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष स्वयं को पक्षकार के रूप में जोडने या विभाजन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

21. वर्तमान मामले को उपरोक्त कानूनी व्याख्याओं के प्रकाश में जांच की गई है। हम सब की सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय का

आक्षेपित निर्णय एवं आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता है और इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपीलें सफल हुई तथा स्वीकार की जाती हैं। यहां आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिपक्षीगण कानून द्वारा अनुमत उचित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उचित अनुतोष मांगने को स्वतंत्र है।

के.के.टी.

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तारा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।